बुन्नीलाल चौधरी

बनाम

बिहार राज्य

5 जुलाई, 2006

[डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन और लोकेश्वर सिंह पंत,न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, 1860 (भा.दं.सं.):

धाराएं 299 और 300, खंड 'तीसरा'—पीड़ित के सीने के बाईं ओर चाकू की एक चोट कारित—पीड़ित की मृत्यु—चिकित्सकीय प्रतिवेदन यह इंगित नहीं करता कि चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी—अभिनिर्धारित, वाद धारा 300 के तीसरे भाग के अंतर्गत आता है और अभियुक्त धारा 304 (भाग II) भा.द.सं. के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है—धारा 300, खंड 'तीसरा' और धारा 299 के तत्व स्पष्ट किए गए।

धारा 302/149—दस अभियुक्तों में से एक द्वारा पीड़ित के सीने पर चाकू का एक प्रहार करना जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई—विचारण न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों की धारा 302/149 के तहत दोषसिद्धि—उच्च न्यायालय द्वारा हमलावर अभियुक्त को धारा 302 के तहत और सात अन्य को धारा 302/149 के तहत दोषसिद्ध किया जाना—अपील पर धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को धारा 304 (भाग II) भा.द.सं. के तहत दोषसिद्धि में परिवर्तित किया गया—अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में—अभिनिर्धारित, यह साबित नहीं हुआ है कि अभियुक्त घटना स्थल पर पीड़ित की हत्या करने के आशय से आए थे और न ही यह कहा गया कि उन्होंने उसे कोई प्रहार किया था—उनकी दोषसिद्धि अपास्त की जाती है।

इन दोनों अपीलों में अपीलकर्ता और दो अन्य को भा.द.सं. की धारा 302/49, 147 और 148 के तहत अभियोजित किया गया था। अभियोजन पक्ष का वाद यह था कि एक भैंस की बिक्री के शेष भुगतान के संबंध में अभियुक्तों और सूचक के बीच द्वेष विकसित हो गया था। घटना के दिन, अभियुक्तों द्वारा सूचक के पिता, अ.सा. 5 को घेरना कथित था। इस बीच

सूचक का छोटा भाई भी घटना स्थल पर पहुँच गया; अभियुक्तों ने उसका पीछा किया और ए-1 ने उसके सीने के बाईं ओर चाकू की चोट कारित की। जब उसके पिता ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तो ए-5 ने उसके सिर पर चाकू से प्रहार किया। शोर सुनकर कई लोग घटना स्थल पर पहुँच गए और अभियुक्त भाग गए। सूचक के घायल भाई को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।

विचारण न्यायालय ने सभी दस अभियुक्तों को, अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 302/149 के तहत दोषसिद्ध किया और उन्हें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया। अपील पर, उच्च न्यायालय ने ए-1 की दोषसिद्धि को धारा 302/149 से धारा 302 भा.द.सं. में परिवर्तित कर दिया और दो अभियुक्तों को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। शेष अभियुक्तों की धारा 302/149 भा.द.सं. के तहत दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की गई। व्यथित होकर, ए-1 ने आपराधिक अपील सं. 605/2005 दायर की और अन्यों ने आपराधिक अपील सं. 606/2005 दायर की।

आपराधिक अपील सं. 606/2005 को स्वीकार करते हुए और आपराधिक अपील सं. 605/2005 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1 यह विवाद में नहीं है कि मृतक के सीने के बाईं ओर ए-1 द्वारा कारित चोट एकल है। जाँच करने पर, चिकित्सक ने चोट को सीने के बाईं ओर स्तनवृंत के ऊपर स्थित 1" X ½" प्रवेशी घाव के रूप में पाया। चिकित्सक ने यह राय नहीं दी है कि चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। यह भी नहीं कहा गया था कि इसके मृत्यु कारित करने की संभावना है। मृतक के शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग पर गंभीर चोट कारित करने का ए-1 द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। मृतक की हत्या करने का ए-1 का कोई उद्देश्य या आशय नहीं था।

[271-बी-डी]

1.2 भा.द.सं. की धारा 300 का खंड 'तीसरा' यह अपेक्षित करता है कि शारीरिक चोट आशयित होनी चाहिए और कारित किए जाने के लिए आशयित शारीरिक चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। यह खंड दो भागों में है: प्रथम भाग एक विषयनिष्ठ है जो यह इंगित करता है कि चोट एक आशयित होनी चाहिए और आकस्मिक नहीं; दूसरा भाग इस मायने में वस्तुनिष्ठ है कि कारित किए जाने के लिए आशयित चोट को देखते हुए, न्यायालय को यह संतुष्ट होना चाहिए कि वह प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। प्रथम भाग का अनुपालन किया गया है, क्योंकि जो चोट कारित किए जाने के लिए आशयित थी, वह वही थी जो मृतक के शरीर पर पाई गई थी। लेकिन दूसरा भाग पूर्ण नहीं होता है क्योंकि इस तथ्य के लिए कि कारित चोट ने फेफड़े को भेद दिया था, मृत्यु संभवतः घटित नहीं होती। दूसरे शब्दों में, मामले को वस्तुनिष्ठ रूप से देखते हुए, वह चोट जिसे कारित करने का ए-1 ने आशय किया था, में विशेष रूप से बाएं फेफड़े का काटना शामिल नहीं था, बल्कि सीने के बाईं ओर स्तनवृंत के आस-पास ए-1 को घायल करना था। इसलिए, धारा 300 का खंड 'तीसरा' इस वाद को आच्छादित नहीं करता है। [271-ई-जी]

2. चूँकि मृत्यु कारित हुई है, मामला अभी भी कम से कम हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के अंतर्गत आना चाहिए। वहाँ पुनः, धारा 299 तीन भागों में है। प्रथम भाग मृत्यु कारित करने के आशय के साथ किसी कार्य को करने को समाहित करता है। ए-1 का मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था और धारा 299 का प्रथम भाग लागू नहीं होता है। द्वितीय भाग ऐसी शारीरिक चोट कारित करने के आशय से व्यवहार करता है जो मृत्यु कारित करने के लिए संभाव्य हो। यहाँ पुनः, आशय मृत्यु कारित करने के लिए संभाव्य सटीक चोट कारित करने का होना चाहिए और वह भी ए-1 का आशय नहीं था। इसलिए, मामला तीसरे भाग के अंतर्गत आता है। जो कार्य किया गया था, वह इस ज्ञान के साथ किया गया था कि ए-1 द्वारा ऐसे कार्य से मृतक की मृत्यु कारित होने की संभावना थी।

यह वाद धारा 299 के तीसरे भाग के अंतर्गत आता है और हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के रूप में भा.द.सं. की धारा 304 के दूसरे भाग के तहत दंडनीय होगा। ए-1 की दोषसिद्धि तदनुसार धारा 302 से भा.द.सं. की धारा 304 (भाग II) में परिवर्तित की जाती है और उस पर अधिरोपित आजीवन कारावास के दंडादेश के स्थान पर, उसे पाँच वर्षों के सश्रम कारावास और व्यतिक्रम शर्त के साथ 1,000/- रुपये का जुर्माना देने का दंडादेश दिया जाता है। [271-जी-एच; 272-ए-सी]

3. जहाँ तक अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि का संबंध है, उनके विरुद्ध धारा 302/149 भा.द.सं. के आरोप को बनाए रखने के लिए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत रत्ती भर भी साक्ष्य नहीं है और एकमात्र साक्ष्य, जो अभिलेख पर आया है, वह अ.सा. 10 - सूचक की गवाही है जिसने कहा कि ए-3 आया और उसने उसे घटना स्थल पर घेर लिया। किसी भी गवाह ने यह साबित नहीं किया है कि अभियुक्त व्यक्ति मृतक की हत्या कारित करने के आशय के साथ घटना स्थल पर आए थे। उनमें से किसी ने भी उन हथियारों से मृतक पर कोई प्रहार नहीं किया था जो वे कथित रूप से अपने साथ ले जा रहे थे। अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य की संवीक्षा करने पर, अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि संधारणीय नहीं है। [272-ई-एफ; 273-ए]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: वर्ष 2005 का आपराधिक अपील सं. 605।

पटना उच्च न्यायालय के आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 465/99 में दिनांक 5.11.2003 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

आपराधिक अपील सं. 606/2005।

अपीलकर्ता के लिए एस. चंद्र शेखर।

उत्तरदाता के लिए ऋतुराज बिस्वास और गोपाल सिंह।

न्यायालय का निर्णय जिनके द्वारा सुनाया गया

लोकेश्वर सिंह पंत, न्यायमूर्ति ये दो अपीलें आपराधिक अपील सं. 465/1999 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 5 नवंबर, 2003 के सामान्य निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती हैं, जिसके द्वारा विद्वान न्यायाधीशों ने बुन्नीलाल चौधरी (ए-1) की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'भा.द.सं.') की धारा 302/149 से बदलकर धारा 302, भा.द.सं. के तहत कर दिया है, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा वीरेंद्र चौधरी (ए-2), मनिराज चौधरी (ए-3), दशरथ चौधरी (ए-4), मजिस्टर चौधरी (ए-5), अमरजीत चौधरी (ए-8), नरेश चौधरी (ए-9) और राजधारी चौधरी (ए-10) पर धारा 302/149, भा.द.सं. के तहत अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की गई है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, बाली चौधरी (ए-6) और जगदीश चौधरी (ए-7) को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है। सभी अभियुक्त व्यक्तियों को आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया था। ये दोनों अपीलें एक साथ ली गई हैं और सुनी गई हैं और इस संयुक्त निर्णय द्वारा निस्तारित होंगी।

इस वाद के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि दिनांक 13.12.94 को अ.सा.-10, योगेंद्र राउत ने, लगभग रात्रि 9.45 बजे सिधवलिया थाना में फर्दबयान (पी-5) दर्ज कराया जिसमें यह कथित किया कि उक्त तिथि से लगभग 17 दिन पूर्व पैठानपट्टी, थाना माझा के उसके रिश्तेदार ने, उसके गाँव के सट्टन चौधरी नामक व्यक्ति से, 6,800/- रुपये की राशि में एक भैंस खरीदी थी। उसके रिश्तेदार ने भैंस की कीमत के पूर्ण भुगतान से 700/- रुपये कम का भुगतान किया था, लेकिन उसके अनुरोध पर, शेष राशि का भुगतान बाद में किया जाना था। उसका छोटा भाई उसके रिश्तेदार से 400/- रुपये की राशि लाया। घटना के दिन, अर्थात 13.12.94 को, लगभग रात्रि 7.45 बजे मनिराज चौधरी (ए-3), पुत्र सट्टन चौधरी ने योगेंद्र राउत को उसके घर बुलाया जब उसने सट्टन चौधरी को 400/- रुपये की राशि दी और अगले दिन 300/- रुपये की शेष राशि का भुगतान करने का वादा किया। मनिराज चौधरी (ए-3) ने एक देशी पिस्तौल निकाली और उसकी ओर इशारा किया। उसने मदद के लिए चिल्लाया, जिससे उसके परिवार के सदस्य सट्टन चौधरी के घर पर आकर्षित हुए। वह

अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर आया और बाद में उन्होंने अपना रात्रिभोज किया। उसके पिता, ब्रह्मदेव राउत (अ.सा.-5), और उसका भाई अपने घर से बाहर आए और बथान जाने लगे। जैसे ही वे बथान से आधे रास्ते पर पहुँचे, अचानक बुन्नीलाल चौधरी (ए-1), वीरेंद्र चौधरी (ए-2), मनिराज चौधरी (ए-3), दशरथ चौधरी (ए-4), मजिस्टर चौधरी (ए-5), बाली चौधरी (ए-6), जगदीश चौधरी (ए-7), अमरजीत चौधरी (ए-8), नरेश चौधरी (ए-9) और राजधारी चौधरी (ए-10) अपने हाथों में रिवॉल्वर और लाठियां लिए घटना स्थल पर आए और उन्हें घेर लिया। उसका छोटा भाई, शंभू राउत, वहाँ पहुँचा और सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने उसका कुछ दूरी तक पीछा किया जब बुन्नीलाल चौधरी (ए-1) ने अंबिका राम के दरवाजे पर शंभू राउत पर चाकू से हमला किया। प्रहार सीने के बाईं ओर किया गया था। घटना को देखकर, उसका पिता, ब्रह्मदेव राउत (अ.सा.-5), दौड़ता हुआ अंबिका राम के घर आया। उसके पिता को मजिस्टर चौधरी (ए-5) द्वारा उसके सिर पर चाकू से प्रहार किया गया। उनका शोर सुनकर, गाँव के कई लोग घटना स्थल पर एकत्रित हो गए और उन्हें देखकर, सभी अभियुक्त व्यक्ति भाग गए। उसका भाई, शंभू राउत, गंभीर रूप से घायल होकर अंबिका राम के दरवाजे पर गिर गया और उसे लगी चोट से रक्त बह रहा था। शंभू राउत जो घायल था, उसे एक खाट पर रखा गया और चिकित्सीय उपचार के लिए सिधवलिया अस्पताल ले जाया गया जहाँ चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया था। वह शंभू राउत के मृत शरीर को थाना ले गया। इन आधारों पर, पुलिस ने उसका कथन (पी-5) दर्ज किया।

फर्दबयान (प्रदर्श पी-5) के आधार पर सभी दस अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 147, 148, 149, 324, 307 और 302 के तहत थाना कांड सं. 302/94 (प्रदर्श पी-4) दर्ज किया गया। अन्वेषण पूरा होने पर, उक्त अपराधों के लिए सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गोपालगंज के समक्ष दाखिल किया गया, जिन्होंने वाद का विचारण सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया। सत्र न्यायाधीश ने वाद के

अभिलेख को विचारण के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, गोपालगंज को स्थानांतरित कर दिया।

अपने वाद के समर्थन में, अभियोजन ने 12 साक्षियों का परीक्षण किया, नामतः अ.सा.-1 देवनाथ राउत (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी), अ.सा.-2 शिव शंकर बिंद (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी), अ.सा.-3 बिकाऊ राम (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी), अ.सा.-4 कंचन राउत (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी), अ.सा.-5 ब्रह्मदेव राउत (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी), अ.सा.-6 हरिशंकर बिंद, अ.सा.-7 राम नाथ बिंद (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी), अ.सा.-8 गोरख बिंद, अ.सा.-9 श्रीमती निर्मला देवी, मृतक की बहन (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी), अ.सा.-10 योगेंद्र राउत (सूचक/प्रत्यक्षदर्शी साक्षी) और अ.सा.-11 डॉ. विजय कुमार, जिसने 14.12.1994 को मृतक शंभू राउत के शरीर का शव-परीक्षण किया। अ.सा.-12 उपेंद्र कुमार सिंह एक औपचारिक साक्षी था जिसने औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श पी-4), फर्दबयान को प्रदर्श पी-5 के रूप में, मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-6) और जब्ती सूची (प्रदर्श पी-7) पर अन्वेषण अधिकारी, शाह नवाज खान के हस्ताक्षर और हस्तलेख को क्रमशः प्रमाणित किया था। अन्वेषण अधिकारी, शाह नवाज खान, का अभियोजन द्वारा परीक्षण नहीं किया गया था। अ.सा. 1, 2, 3, और 4, स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने, अभियोजन के प्रति पक्षद्रोही रुख अपनाया है और विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उनका विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया गया था लेकिन उनके प्रतिपरीक्षण से अभियोजन के पक्ष में कुछ भी सारवान नहीं निकाला जा सका। अ.सा. 7 राम नाथ बिंद सूचक का पड़ोसी है। यह उसका साक्ष्य है कि वाद के अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा उसका कथन दर्ज नहीं किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज अपने कथनों में, अभियुक्तों ने मृतक को चाकू से प्रहार करने के साथ-साथ अ.सा. 5 - ब्रह्मदेव राउत को पिटाई करने से इनकार किया। उनका बचाव यह था कि उन्हें परिवादी द्वारा एक झूठे वाद में फंसाया गया था।

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने, संबंधी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, अ.सा. 5, अ.सा. 9 और अ.सा. 10 के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त व्यक्तियों को अपने सामान्य उद्देश्य को

अग्रसर करने में शंभू राउत की हत्या कारित करने का दोषी पाया; उन्हें भा.द.सं. की धारा 302/149 के तहत दोषसिद्ध और दंडादेशित किया। मनिराज चौधरी (ए-3), दशरथ चौधरी (ए-4), बाली चौधरी (ए-6), जगदीश चौधरी (ए-7), अमरजीत चौधरी (ए-8), राजधारी चौधरी (ए-10) को भी भा.द.सं. की धारा 147 के तहत दोषी पाया गया, जबकि बुन्नीलाल चौधरी (ए-1), (ए-5), वीरेंद्र चौधरी (ए-2), मजिस्टर चौधरी (ए-5) और नरेश चौधरी (ए-9) को भी भा.द.सं. की धारा 148 के तहत दोषी ठहराया गया। परिणामतः, सभी अभियुक्त व्यक्तियों को भा.द.सं. की धारा 302/149 के तहत आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया। बुन्नीलाल चौधरी (ए-1), वीरेंद्र चौधरी (ए-2), मजिस्टर चौधरी (ए-5) और नरेश चौधरी (ए-9) को भा.द.सं. की धारा 148 के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास का दंडादेश दिया गया जबकि मनिराज चौधरी (ए-3), दशरथ चौधरी (ए-4), बाली चौधरी (ए-6), जगदीश चौधरी (ए-7) और अमरजीत चौधरी (ए-8) को भा.द.सं. की धारा 147 के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास का दंडादेश दिया गया। तथापि, सभी दंडादेशों को साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया।

अपील पर, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने मामले पर वाद में प्रस्तुत वास्तविक साक्ष्य और संभावनाओं, दोनों के दृष्टिकोण से चर्चा की है और बुन्नीलाल चौधरी (ए-1) की दोषसिद्धि को भा.द.सं. की धारा 302/149 से भा.द.सं. की धारा 302 मात्र में परिवर्तित कर दिया है और बाली चौधरी (ए-6) और जगदीश चौधरी (ए-7) को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भा.द.सं. की धारा 302/149 के तहत दर्ज की गई अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि और दंडादेश को अपरिवर्तित छोड़ दिया गया है।

बुन्नीलाल चौधरी (ए-1) ने दांडिक अपील सं. 605/2005 दायर की है और दांडिक अपील सं. 606/2005 मजिस्टर चौधरी (ए-5), वीरेंद्र चौधरी (ए-2), मनिराज चौधरी (ए-3),

दशरथ चौधरी (ए-4), अमरजीत चौधरी (ए-8), नरेश चौधरी (ए-9) और राजधारी चौधरी (ए-10) द्वारा इस न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त करने के बाद दायर की गई है।

हमने घायल अ.सा. 5 - ब्रह्मदेव राउत, पिता, अ.सा. 9 - श्रीमती निर्मला देवी, बहन, और अ.सा. 10 - योगेंद्र राउत, सूचक - मृतक का भाई तथा डॉ. विजय कुमार, जिसने शंभू राउत के मृत शरीर का शव-परीक्षण किया, के साक्ष्य की संवीक्षा की है, और उच्च न्यायालय तथा अपर सत्र न्यायाधीश के निर्णय की भी संवीक्षा की है। हम सोचते हैं कि मामले की सभी परिस्थितियों के उचित अवलोकन पर, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोण को पूर्णतः वरीयता नहीं दी जा सकती है। अ.सा. 10 ने प्राथमिकी (प्रदर्श पी-4) में प्रतिवेदित किया कि घटना के दिन लगभग 7.45 बजे अपराह्न वह अपने सह-ग्रामीण सट्टन के घर उसे 400/- रुपये देने गया था और अगले दिन 300/- रुपये की शेष राशि का भुगतान करने का वादा किया था। मनिराज चौधरी-ए-3, सट्टन का पुत्र, ने अचानक एक पिस्तौल निकाली और इसे सूचक की ओर ताना, लेकिन विचारण न्यायालय के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य में उसका संस्करण यह था कि उसका पुत्र शंभू सट्टन के घर उसे 400/- रुपये देने गया था जहाँ ए-3 मनिराज चौधरी ने 300/- रुपये और की मांग की, जिसके परिणामस्वरूप उनके बीच मौखिक चर्चा हुई और यह वीरेंद्र चौधरी (ए-2) था जिसने पिस्तौल निकाली। अ.सा.-7 राम नाथ बिंद, एक पड़ोसी जो कथित तौर पर एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, ने कहा है कि सट्टन के घर से शोर सुनकर, वह वहाँ गया और मनिराज चौधरी (ए-3) और शंभू को एक दूसरे के साथ गरमागरम बहस करते पाया। उसने यह नहीं कहा है कि मनिराज-ए-3 या वीरेंद्र चौधरी ए-2 द्वारा पिस्तौल निकाली गई थी जैसा कि प्राथमिकी (प्रदर्श पी-4) में और विचारण न्यायालय के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य में अ.सा. 10 सूचक द्वारा कहा गया है। यह अ.सा. 9 श्रीमती निर्मला देवी, मृतक की बहन, का साक्ष्य है कि सट्टन के घर से शोर सुनकर, वह वहाँ गई और ए-3 मनिराज और अपने भाई शंभू राउत को एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए देखा। उसने यह भी नहीं कहा है कि ए-2 या ए-3 ने पिस्तौल निकाली और

उससे अपने भाई शंभू को धमकी दी। अ.सा. 5, अ.सा. 9 और अ.सा. 10 के साक्ष्यों ने स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया है कि जब शंभू राउत पशुशाला के पश्चिम की ओर भागा और एक अंबिका राम (परीक्षित नहीं) के घर के दरवाजे के पास पहुँचा, तो वह वहाँ बुन्नीलाल चौधरी (ए-1) द्वारा पकड़ लिया गया और उसे चाकू का एक प्रहार किया गया जो शंभू राउत के सीने के बाईं ओर लगा। शंभू राउत को घायल अवस्था में डॉ. महेश सिंह के चिकित्सालय ले जाया गया जहाँ वह चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। शंभू राउत के मृत शरीर को थाना ले जाया गया जहाँ अ.सा. 10-सूचक का फर्दबयान (प्रदर्श पी-5) पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया। डॉ. विजय कुमार अ.सा.-11 ने शंभू राउत के मृत शरीर पर शव-परीक्षण किया और 1" x ½" वेधन घाव, अंतरापर्शुक स्थान में बाएं स्तनवृंत से 4" ऊपर पाया। विच्छेदन पर, बायां फेफड़ा छिद्रित पाया गया। वक्ष गुहा का मध्य भाग रक्त से भरा था और महाधमनी छिद्रित थी। चोटें, प्रकृति में मृत्यु-पूर्व थीं, जो परीक्षण के 24 घंटों के भीतर कारित की गई थीं। जो उल्लेखनीय है वह यह है कि डॉ. विजय कुमार मृत्यु का कारण अभिनिश्चित नहीं कर सके।

बुन्नीलाल चौधरी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री एस. चंद्रशेखर ने पुरजोर तर्क दिया कि यदि बुन्नीलाल को मृतक शंभू राउत के शरीर पर घातक चोट पहुँचाने के लिए दोषी ठहराया जाता है तो, वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए उत्तरदायी है क्योंकि उसमें मृत्यु कारित करने का अपेक्षित आशय का अभाव था। दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता, श्री ऋतुराज बिस्वास ने निर्णय में दर्ज निष्कर्ष और तर्क का समर्थन करने का प्रयास किया है।

हमने विद्वान अधिवक्ताओं के प्रतिरोधी तर्कों पर अपना विचारपूर्ण और उत्सुकतापूर्ण विचार दिया है। अगला प्रश्न यह है कि बुन्नीलाल चौधरी (ए-1) पर कौन सा अपराध सिद्ध होता है? यह निर्विवाद है कि मृतक के सीने के बाईं ओर कारित चोट एकल है। परीक्षण पर, डॉ. विजय कुमार ने सीने के बाईं ओर स्तनवृंत के ऊपर स्थित 1" X ½" माप का वेधन घाव

पाया। विच्छेदन पर, बायां फेफड़ा वेधित पाया गया। डॉ. विजय कुमार ने यह राय नहीं दी है कि चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ तक कि इसके मृत्यु कारित करने की संभावना होने के बारे में भी नहीं कहा गया था। बुन्नीलाल चौधरी द्वारा मृतक के शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण अंग पर गंभीर चोट कारित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। शंभू राउत की हत्या करने का बुन्नीलाल चौधरी का कोई हेतु या आशय नहीं था। इसलिए, प्रश्न यह है कि क्या अपराध को भा.द.सं. की धारा 300 के खंड (iii) में समाविष्ट माना जा सकता है।

वह धारा यह अपेक्षा करती है कि शारीरिक चोट आशयित होनी चाहिए और कारित करने के लिए आशयित शारीरिक चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। यह खंड दो भागों में है: पहला भाग एक व्यक्तिपरक है जो इंगित करता है कि चोट एक आशयित चोट होनी चाहिए न कि एक दुर्घटनाजन्य; दूसरा भाग वस्तुपरक है कि कारित करने के लिए आशयित चोट को देखते हुए, न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि वह प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। हम सोचते हैं कि पहले भाग का अनुपालन किया गया है, क्योंकि जो चोट कारित करने के लिए आशयित थी, वह वही थी जो शंभू राउत के शरीर पर पाई गई थी। लेकिन दूसरा भाग, हमारी राय में, पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इस तथ्य के सिवाय कि कारित चोट ने फेफड़े को वेधित किया था, मृत्यु कारित नहीं हुई होती। दूसरे शब्दों में, मामले को वस्तुपरक रूप से देखने पर, वह चोट, जिसे बुन्नीलाल चौधरी ने कारित करने का आशय किया था, उसमें विशेष रूप से बाएं फेफड़े को काटना शामिल नहीं था, बल्कि सीने के बाईं ओर स्तनवृंत के आस-पास शंभू राउत को घायल करना था। इसलिए, हम इस राय के हैं कि धारा 300 का खंड (iii) इस मामले को समाविष्ट नहीं करता है। चूँकि मृत्यु कारित हुई है, मामला अभी भी कम से कम हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के अंतर्गत आना चाहिए। वहाँ पुनः, धारा 299 तीन भागों में है। पहला भाग मृत्यु कारित करने के आशय के

साथ एक कार्य करने को समाहित करता है। जैसा कि हमने ऊपर दर्शाया है, बुन्नीलाल चौधरी ने मृत्यु कारित करने का आशय नहीं किया था और धारा 299 का पहला भाग लागू नहीं होता है। दूसरा भाग ऐसी शारीरिक चोट कारित करने के आशय से संबंधित है जो मृत्यु कारित करने के लिए संभाव्य है। यहाँ पुनः, आशय मृत्यु कारित करने के लिए संभाव्य सटीक चोट कारित करने का होना चाहिए और वह भी, जैसा कि हमने ऊपर दर्शाया है, बुन्नीलाल चौधरी का आशय नहीं था। इसलिए, मामला तीसरे भाग के अंतर्गत आता है। जो कार्य किया गया था, वह इस ज्ञान के साथ किया गया था कि बुन्नीलाल चौधरी द्वारा ऐसे कार्य से शंभू राउत की मृत्यु कारित होने की संभावना थी। मामला धारा 299 के तीसरे भाग के अंतर्गत आता है और भा.द.सं. की धारा 304 के दूसरे भाग के तहत हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के रूप में दंडनीय होगा।

हम, तदनुसार, बुन्नीलाल चौधरी की दोषसिद्धि को भा.द.सं. की धारा 302 से धारा 304 भाग-II में परिवर्तित करते हैं और उस पर अधिरोपित आजीवन कारावास के दंडादेश के स्थान पर, हम पांच वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश और दो माह के साधारण कारावास की व्यतिक्रम शर्त के साथ 1,000/- रुपये का जुर्माना अदा करने का दंडादेश अधिरोपित करते हैं। बुन्नीलाल चौधरी (ए-1) द्वारा दायर आपराधिक अपील सं. 605/2005 उपर्युक्त निर्दिष्ट सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

आपराधिक अपील सं. 606/2005:-

जहाँ तक अन्य अभियुक्त व्यक्तियों अर्थात् मजिस्टर चौधरी, वीरेंद्र चौधरी, मनिराज चौधरी, दशरथ चौधरी, अमरजीत चौधरी, नरेश चौधरी और राजधारी चौधरी की दोषसिद्धि का संबंध है, उनके विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 302/149 के आरोप को बनाए रखने के लिए अभियोजन द्वारा साक्ष्य का एक अंश भी प्रस्तुत नहीं किया गया है और एकमात्र साक्ष्य, जो अभिलेख पर आया है, वह अ.सा.-10 सूचक का अभिसाक्ष्य है जिसने कहा कि मजिस्टर चौधरी आया और उसे घटनास्थल पर घेर लिया। किसी भी साक्षी ने यह प्रमाणित नहीं किया

है कि अभियुक्त व्यक्ति शंभू राउत की हत्या कारित करने के आशय के साथ घटना स्थल पर आए थे। उनमें से किसी ने भी मृतक को उन हथियारों से कोई प्रहार नहीं किया था जो कथित तौर पर वे अपने साथ ले जा रहे थे। हम यहाँ कह सकते हैं कि यह अब स्थापित विधि है कि भा.द.सं. की धारा 149 के अंतर्गत, घटना के जारी रहने के दौरान कारित अपराध के लिए अन्य सदस्यों का दायित्व इस तथ्य पर निर्भर करता है कि क्या अन्य व्यक्तियों को पहले से ज्ञात था कि सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में वास्तविक रूप से कारित अपराध के कारित होने की संभावना थी। ऐसा ज्ञान उचित रूप से जमावड़े की प्रकृति, हथियारों या घटना स्थल पर या उससे पूर्व के व्यवहार से एकत्रित किया जा सकता है। यदि ऐसा ज्ञान जमावड़े के अन्य सदस्यों के प्रति उचित रूप से आरोपित नहीं किया जा सकता है तो घटना के दौरान कारित अपराध के लिए उनका दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य की संवीक्षा करने पर, हम इस सुनिश्चित राय के हैं कि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है और उनकी अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। हम, तदनुसार, आदेश देते हैं कि मजिस्टर चौधरी, वीरेंद्र चौधरी, मनिराज चौधरी, दशरथ चौधरी, अमरजीत चौधरी, नरेश चौधरी और राजधारी चौधरी को भा.द.सं. की धारा 302/149 के अंतर्गत अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। वे जमानत पर हैं। उनके जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं।

आर.पी. 2005 की आपराधिक अपील सं. 605 आंशिक रूप से अनुज्ञात।

और 2005 की आपराधिक अपील सं. 606 अनुज्ञात।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यावहारिक, कार्यालयीय, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।